<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री राजी नान ओवन फाइवर फिल, ए-139, सेक्टर-ए-4, ट्रोनिका सिटी, इन्डस्ट्रीयल एरिया-लोनी, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**87 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्रीमती आराधना शुक्ला, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-87 / 11, दिनांक 27.09.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **Non Woven Staple Fibre Fabric** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्रीमती आराधन शुक्ला, अधिवक्ता उपस्थित हुईं तथा उन्होंने बताया कि उनकी फर्म गाजियाबाद में पंजीकृत है तथा उनकी पंजीयन संख्या-जी.सी.-5068076 है, टिन नम्बर-09598601253 है तथा सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, खण्ड-13 कार्यालय में पंजीकृत है। अवगत कराया किया Non Woven Staple Fibre Fabric का निर्माण एवं बिक्री का कार्य किया जाता है। बताया कि Non Woven Staple Fibre Fabric उनके अनुसार उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-21 के अन्तर्गत staple fibre fabrics of all varieties के अन्तर्गत आने के कारण करमुक्त है। अवगत कराया गया कि Subsitituted नोटिफिकेशन संख्या-3025, दिनांक 24.10.2008 द्वारा staple fibre fabrics of all varieties को उक्त प्रविष्टि में सम्मिलित किया गया है। यह भी अवगत कराया कि उनके द्वारा निर्मित माल की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में नार्दन इण्डिया टेक्सटाइल रिसर्च एसोसियेशन से प्रमाणिकता की जॉच की गयी जिसमें उनके द्वारा निर्मित वस्तु Non Woven Staple Fibre Fabric पाया गया। इसके साथ ही उनके द्वारा श्रीराम इन्स्टीट्यिुट फार इन्डस्ट्रियल रिसर्च से भी प्राप्त टेस्ट सार्टिफिकेट की फोटो प्रति प्रस्तुत की गयी जिसके अनुसार उक्त वस्तु Non Woven Staple Fibre Fabric है। अत: निवेदन किया गया कि उनके अनुसार उनके द्वारा निर्मित वस्तु Non Woven Staple Fibre Fabric पर कोई करदेयता नहीं बनती है।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 निम्नवत है :-

21	Silk Fabrics; Handloom cloth of all kinds; handloom shawls & lois whether plain, printed, dyed or embroidered; ***Dhoties and Sarries***; *textiles of following varieties manufactured on powerloom* ***excluding the items described in schedule-II****:-* (a) cotton fabrics of all varieties; (b) **rayon or artificial silk fabrics, including staple fibre fabrics of all varieties**; (c) woolen fabrics of all varieties; (d) fabrics made of a mixture of any two or more of the above fibres, viz. cotton, rayon, artificial silk, staple fibre or wool, or of a mixture of any one or more of the said fibres with pure silk fibre; (e) canvas cloth.

......2

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-49 निम्नवत है :-

49	Fibres of all types and fibre waste.

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-119 निम्नवत है :-

119	Narrow woven fabrics, **Non-woven fabrics**, Cotton Coated fabrics

4. डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-13, गाजियाबाद के पत्रांक-453, दिनांक 18.10.11 द्वारा आख्या प्रेषित की गयी है जिसके अनुसार सर्वश्री राजी नान ओवन फाइबर फिल, ए-139, सेक्टर-ए-4, ट्रोनिका सिटी, लोनी, गाजियाबाद द्वारा स्टेपिल फाइबर फैब्रिक के निर्माण बिक्री का कार्य दिखाते हुए कोई करदेयता नहीं दिखायी जा रही है और न ही कोई कर दिया गया । स्टेपिल फाइबर फैब्रिक को विज्ञप्ति संख्या-3025, दिनांक 24.10.08 द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I में सम्मिलित कर दिया गया है। अपनी आख्या में यह भी अवगत कराया कि स्टेपिल फाइबर फैब्रिक तथा स्टेपिल फाइबर फिल दो अलग-अलग वस्तुएं हैं । अवगत कराया कि दिनांक 26.04.2011 को वि0 अनु0 शा0 द्वारा व्यापारी के व्यापार स्थल का सर्वेक्षण किया गया था जिसमें भी यह निर्णय नहीं हो सका कि व्यापारी द्वारा निर्मित वस्तु स्टेपिल फाइबर फैब्रिक है अथवा स्टेपिल फाइबर फिल है तथा उक्त सम्बन्ध में निर्णय उत्पाद के सैम्पल की किसी टेस्ट लैब से जॉच करने के उपरान्त ही लिया जा सकता है । अवगत कराया कि स्टेपिल फाइबर फैब्रिक उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत करमुक्त है ।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया । पाया गया कि दिनांक 24.10.08 के पश्चात् उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 में संशोधन करते हुए उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II में वर्णित वस्तुओं के अतिरिक्त पावर लूम पर बनी क्रमांक-(a) से (e) तक वर्णित टैक्सटाइल को करमुक्त घोषित किया गया था । उक्त के क्रमांक-बी के अन्तर्गत रेयान या कृत्रिम रेशम का कपड़ा जिसके अन्तर्गत सभी किस्म के स्टेपिल फाइबर फेब्रिक को सम्मिलित किया गया था । विक्कीपीडिया में Non Woven Fabric को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

> Nonwoven fabrics are broadly defined as sheet or web structures bonded together by entangling fibre or filaments (and by perforating films) mechanically, thermally or chemically.

......3

They are flat, porous sheets that are made directly from separate fibres or from molten plastic or plastic film. They are not made by weaving or knitting and do not require converting the fibres to yarn.

व्यापारी द्वारा भी फाइबर फिल को कैमिकल से प्रोसेस करके Non Woven Staple Fibre Fabric तैयार किया जाना बताया गया है । उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की **अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 के अन्तर्गत रेयान या आर्टिफीशियल सिल्क के विभिन्न प्रकार के स्टेपिल फाइबर फेब्रिक्स को सम्मिलित किया गया है न कि Non Woven Staple Fibre Fabric को सम्मिलित किया गया है** । Non Woven Fabric उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-119 में सम्मिलित है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत भी उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 के क्रमांक-बी में सम्मिलित विभिन्न प्रकार के रेयान अथवा आर्टिफीशियल सिल्क के विभिन्न प्रकार के स्टेपिल फाइबर फैब्रिक को चैप्टर-55 के अन्तर्गत रखा गया है । केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अन्तर्गत Non Woven Staple Fibre Fabric को भिन्न चैप्टर-56 के अन्तर्गत रखा गया है। जिससे भी यह विदित होता है कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I की प्रविष्टि संख्या-21 में वर्णित वस्तुएं एवं उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-119 में वर्णित वस्तुएं भिन्न-भिन्न है। अत स्पष्ट है कि Non Woven Staple Fibre Fabric उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-119 के अन्तर्गत आती है । अत: **Non Woven Staple Fibre Fabric** पर 4% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है ।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय ।

दिनांक 15 नवम्बर, 2011

ह0 / 15.11.11

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ ।